Filling up of Post of Chairman in Industrial Finance Corporation of India

4247. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI RANJAN PRASAD YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the post of Chairman in Industrial Finance Corporation of India is lying vacant for last four months; and

(b) if so, what are the details thereof and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) :(a) and (b) The post of Chairman, Industrial Finance Corporation of India, is vacant from 21st April, 1992. Consequent on the relinquishment of the office of Chairman, Industrial Finance Corporation of India, by Shri D. N. Davar on 20-4-1992, Dr. P. J. Nayak, Joint Secretary, Ministry of Finance Department of conomic Affairs (Baning Division), has been holding the current charge of the post of Chairman, Industrial Finance Corporation of India, with effect from 21-4-1992, in addition to his normal duties. Government have already initiated steps to appoint a regular Chairman.

नवें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को सहायता देने संबंधी प्रावधान

4248. **श्री बापू कालदाते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवें वित्त आयोग ने अति दुर्लभ स्थिति में राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देने का प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रावधान के अनुसार अभी तक कौन-कौन से राज्यों को सहायता दी गई है और इस सहायता की राशि कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार अति दुर्लभ स्थिति को ध्यान में रखते हुए अकाल से प्रभावित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक को सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह अभिमत व्यक्त किया था कि यदि किसी क्षेत्र को इस तरह की व्यापक एवं गंभीर आपदा का सामना करना पड़ता है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर निपटाना जरूरी हो जाता है तो केंद्रीय सरकार परिस्थिति के अनुरूप उचित कार्रवाई करेगी तथा उस पर आवश्यक व्यय करेगी ।

(ख) इस प्रावधान के अन्तर्गत अभी तक किसी भी राज्य सरकार को कोई केंद्रीय सहायता नहीं दी गई है ।

(ग) देश के किसी भी क्षेत्र में मौजूदा सूखे की स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर निपटाया जाना हो तथा उसके लिये कोई अतिरिक्त उद्देश्य केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जानी हो ।